

सेवा में,

SRI RAVISH RANJAN & OTHERS
S/O-LATE MANORANJAN KUMAR SHARMA,
ADD.-ASHIYANA DIGHA ROAD, PTANA-800014

विषय :- प्लॉन केस सं०-P-/KHAJPURA-PRN-1B+G+3/262/2020 ऑटो मैप आवेदन संख्या-
PMC BPAS-00668/2020/BP की स्वीकृति के संबंध में।


महाशय,

आपके आवेदन संख्या- P-/KHAJPURA-PRN-1B+G+3/262/2020 ऑटो मैप आवेदन संख्या-
PMC BPAS-00668/2020/BP के संदर्भ में **SRI RAVISH RANJAN & OTHERS, S/O-LATE MANORANJAN KUMAR SHARMA, ADD.-ASHIYANA DIGHA ROAD, PTANA-800014, पटना** के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित.....विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के सर्वे प्लॉट सं०-जी०-173 & 167 (P), थाना संख्या-11, खाता संख्या-247, 308, मौजा- KHAJPURA, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वहनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से **आवासीय-सह-व्यवसायिक** प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोग को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **308.16** वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **27.40** मीटर से **28.20** मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को **शून्य** वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) भवन उपविधि के कंडिका-09 के तहत नक्शा निर्गत करने में विलम्ब की पूरी जिम्मेवारी आवेदक/आर्किटेक्ट/ बिल्डर की होगी।
Permission granted under section-9 of building bye laws shall remain valid up to three years from the date such a permission is granted.
- (ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।




- (ज) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ठ) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules) 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ढ) ग्रीन-एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप-विधि, 2014 के कंडिका-32 के अनुरूप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन,


निदेशक,

शहरी योजना,





पटना नगर निगम, पटना।



ST-BUILDING LOAD CALCULATION
DEAD LOAD (DL) = 1200 kg/m²
LIVE LOAD (LL) = 2000 kg/m²
WIND LOAD (WL) = 1500 kg/m²
SEISMIC LOAD (SL) = 1000 kg/m²
TOTAL LOAD (TL) = 6700 kg/m²

LEGEND FOR FIRE PROTECTION

- 1. DOORS TO BE KEPT OPEN AT ALL TIMES
- 2. ALL DOORS TO BE KEPT OPEN AT ALL TIMES
- 3. ALL DOORS TO BE KEPT OPEN AT ALL TIMES
- 4. ALL DOORS TO BE KEPT OPEN AT ALL TIMES
- 5. ALL DOORS TO BE KEPT OPEN AT ALL TIMES
- 6. ALL DOORS TO BE KEPT OPEN AT ALL TIMES
- 7. ALL DOORS TO BE KEPT OPEN AT ALL TIMES
- 8. ALL DOORS TO BE KEPT OPEN AT ALL TIMES
- 9. ALL DOORS TO BE KEPT OPEN AT ALL TIMES
- 10. ALL DOORS TO BE KEPT OPEN AT ALL TIMES



REQUIREMENTS AS PER PLAN
 1. 100% OF THE AREA TO BE COVERED BY PLANT
 2. 100% OF THE AREA TO BE COVERED BY PLANT
 3. 100% OF THE AREA TO BE COVERED BY PLANT
 4. 100% OF THE AREA TO BE COVERED BY PLANT
 5. 100% OF THE AREA TO BE COVERED BY PLANT
 6. 100% OF THE AREA TO BE COVERED BY PLANT
 7. 100% OF THE AREA TO BE COVERED BY PLANT
 8. 100% OF THE AREA TO BE COVERED BY PLANT
 9. 100% OF THE AREA TO BE COVERED BY PLANT
 10. 100% OF THE AREA TO BE COVERED BY PLANT

PLOT DETAIL
 PROPOSED RESIDENTIAL CLM COMMERCIAL BUILDING FOR
 1. SRI RAJESH RANJAN
 2. SRI LATE MANOJRAJ KUMAR SHARMA
 3. SRI SHREY RANJAN
 4. SRI LATE MANOJRAJ KUMAR SHARMA
 5. SRI LATE MANOJRAJ KUMAR SHARMA
 6. SRI LATE MANOJRAJ KUMAR SHARMA
 AT S PLOT NO.-173 & 174 (P), KHATA NO.-247,300,
 MALWA, KANHAJI, THANA NO.-11, DIST.- PATNA.

TOTAL PLOT AREA AS PER DEED:- 876 SQ.MT.
TOTAL PLOT AREA AS PER POSSESSION:- 876 SQ.MT.

FLOOR	AREA
GROUND FLOOR	244.20 SQ.MT.
FIRST FLOOR	244.20 SQ.MT.
SECOND FLOOR	244.20 SQ.MT.
TERACE FLOOR	244.20 SQ.MT.
TOTAL	976.80 SQ.MT.

F.A.R. = (1128.28615) × 0.85 = 958.94

SHEET TITLE: GROUND FLOOR TYPICAL TERRACE PLAN SECTION AND ELEVATION

SCALE: 1/100

SHEET NO. MONTH

SIGNATURE OF OWNER: R.K. Agrawal

SIGNATURE OF ARCHITECT: R.K. Agrawal

भारतीय गणराज्य के संविधान के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस परियोजना के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को उपलब्ध करवा रहा हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं इस परियोजना के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को उपलब्ध करवा रहा हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं इस परियोजना के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों को उपलब्ध करवा रहा हूँ।

